सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-1020/JH/61/2023-RO-RNC-RU-IV

दिनांक : 22.12.2025

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - रांची
उपायुक्त कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: dc-ran@nic.in

विषय: अभ्यावेदक श्री आशीष टोप्पो, प्रशासनिक सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला मिशन प्रबंधन ईकाई राँची से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखंड) "श्री दिव्य दीप सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मानसिक प्रताड़ना देने दुर्व्यहार करने एवं समुदाय आधारित शब्दों का इस्तेमाल करने के संबंध में "

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

22.12.25

(प्रवीण कुमार सिंह)
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री आशीष टोप्पो,
प्रशासनिक सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर,
जिला मिशन प्रबंधन ईकाई,
कचहरी चौक -राँची -834001.

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ाइल सं - NCST/SER-1020/JH/61/2023-RO-RNC

आयोग की माननीय सदस्य, डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2025 को आयोग के मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में अभ्यावेदक श्री आशीष टोप्पो, प्रशासनिक सहायक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला मिशन प्रबंधन इकाई, रांची (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन—"श्री दिव्य दीप सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार एवं समुदाय-आधारित शब्दों के प्रयोग किए जाने" के संबंध में—सुनवाई आयोजित सिटिंग का कार्यवृत |

सिटिंग की तिथि एवं समय : 01.12.2025 को अपराह्न 01:50 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागीः अनुलग्रक-1 के अनुसार

अभ्यावेदक श्री आशीष टोप्पो, प्रशासनिक सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला मिशन प्रबंधन ईकाई, राँची- 834001 ने आयोग को शिकायत की है कि श्री दिव्य दीप सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला - रांची के द्वारा उन्हे प्राय: उनके कार्यालय में कार्यरत सभी प्रबंधकों के समक्ष चोर तथा पंखे से लटका देने की बाते कहकर वेंडरों से रिश्वत लेने से संबंधी शब्दों का इस्तेमाल करते हुये लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है । अभ्यावेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि जिला से संबंधित सभी वेंडरों से श्री दिव्य दीप सिंह स्वयं ही अपने चेम्बर में मुलाकात करते हैं । ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान अभ्यावेदक श्री दिव्य दीप सिंह के चेम्बर में चले गए थे तो वेंडरों के सामने श्री सिंह क्रोधित हो गए तथा उनको जूते से मारने की धमकी देने लगे । तथा बार-बार 'चोर' जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना, पंखे से लटकाने की धमकी देना, बात-बात पर बर्खास्त करने की धमकी देना तथा समुदाय-आधारित दुष्प्रचार के माध्यम से प्रताड़ित किए जाने के कारण वे गंभीर मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। अभ्यावेदक ने आयोग से प्रकरण की जांच कर उन्हे न्याय प्रदान करने का अनुरोध किया है |

2. आयोग द्वारा मामले में तथ्यात्मक हेतु उपायुक्त जिला –रांची ,झारखंड को नोटिस दिनांक 21/08/2023 को भेजा गया|

3.आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची द्वारा पत्रांक 4487(ii)/विधि, दिनांक 28.11.2023 को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार प्रकरण की जांच परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, रांची से कराई गई। अभ्यावेदक श्री आशीष टोप्पो द्वारा लगाए गए आरोप—श्री दिव्य दीप सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार एवं समुदाय-आधारित शब्दों के प्रयोग—की पुष्टि हेतु कुल 11 पदाधिकारियों/कर्मियों से पूछताछ की गई तथा अभ्यावेदक एवं आरोपित अधिकारी दोनों से लिखित कथन प्राप्त किए गए। प्रतिवेदन के अनुसार कार्यालयीय कार्य के दौरान श्री दिव्य दीप सिंह द्वारा कुछ कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में डाँट-फटकार करना पाया गया, तथापि जाति-आधारित शब्दों के प्रयोग के संबंध में 11 में से केवल तीन अधिकारियों/कर्मचारियों ने ही अपने लिखित कथनों में इसकी पुष्टि की है, जबकि शेष ने ऐसे किसी कथन की पुष्टि नहीं की।

4. उपायुक्त, रांची से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति दिनांक 07.12.2023 को अभ्यावेदक को जानकारी हेतु अग्रेषित की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अभ्यावेदक ने दिनांक 08.07.2024 को अपने *rejoinder* के माध्यम से प्रतिवेदन पर असहमति व्यक्त की।

5. प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग की माननीय सदस्य द्वारा दिनांक **01.12.2025** को अपराह्न **01:50 बजे** सुनवाई निर्धारित की गई। तदनुसार, उपायुक्त, जिला–राँची को सिटिंग नोटिस दिनांक **20.11.2025** को प्रेषित किया गया।

6. उपायुक्त, राँची द्वारा दिनांक **02.12.2025** को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में सम्मिलित होने हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया गया, जिस पर आयोग द्वारा विचार किया गया।प्रकरण में नियत तिथि को आयोजित सिटिंग के दौरान उपायुक्त, जिला–राँची वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए, जबकि अभ्यावेदक सिटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे।

8. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, राँची द्वारा अवगत कराया गया कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक, श्री दिव्य दीप सिंह का स्थानांतरण हज़ारीबाग हो चुका है।

9. **प्रकरण में सुनवाई के उपरांत मामले में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :**

(i)प्रकरण की पुनर्परीक्षित जांच

चूँकि जांच प्रतिवेदन में 11 में से 3 अधिकारियों/कर्मियों द्वारा यह पुष्टि की गई है कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक, श्री दिव्य दीप सिंह द्वारा जाति-आधारित शब्दों का प्रयोग किया गया था, अतः आरोप की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की एक विस्तृत एवं निष्पक्ष *पुनर्परीक्षित जांच* कराई जाए।

(ii)**निवारक उपाय**

जिला प्रशासन स्तर पर भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपयुक्त चेतावनी/मार्गदर्शनात्मक ज्ञापन निर्गत किया जाए।

(ii) **कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report)**

उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई का **विस्तृत *कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report)*** आयोग को **30 दिनों के भीतर** आयोग को प्रेषित किया जाए, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

आशा लकड़ा
10/12/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1020/JH/61/2023-RO-RNC-RU-IV

Sitting to be held on **01.12.2025 at 01.50 P.M-** अभ्यावेदक **श्री आशीष टोप्पो**, प्रशासनिक सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला मिशन प्रबंधन ईकाई- राँची (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " श्री दिव्य दीप सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मानसिक प्रताड़ना देने दुर्व्यहार करने एवं समुदाय आधारित शब्दों का इस्तेमाल करने के संबंध में "

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi**		
1.	DM through VC	on 2/12/25	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			